



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5171/2026

Ayub Khan Pathan S/o Salim Khan, Aged About 41 Years, R/o
Chaniyakhedi Police Station Kotwali District Pratapghar. (At
Present Lodged In Dist. Jail Banswara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ramesh Chandra Purohit
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

05/05/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 68/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 308(4)(5), 119(1), 61(2), 111(2)(बी), 140(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा अपने रिश्तेदारों को रुपये उधार दिए गए थे परंतु रकम की अदायगी वापिस न कर झूठा आरोप लगाते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। इस प्रकरण को निरस्त करने के लिए धारा 482 सीआर.पी.सी. की कार्यवाही भी प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अलग से की गई है।

04. प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध लंबित मुकदमों की सूची में क्रम संख्या 1 में एफ.आई.आर. संख्या 86/08 में विशिष्ट न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) उदयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 114/2009, निर्णय दिनांक 26.09.2018 के द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को बरी किया जा चुका है और सूची के क्रम संख्या 2 के प्रकरण प्रथम सूचना संख्या 226/08 में प्रार्थी-अभियुक्त को धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में निर्णय दिनांक 24.01.2011 द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया जाकर धारा 3 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद मुख्यालय प्रतापगढ़ द्वारा किया जा चुका है।



05. इसी प्रकार सूची के क्रम संख्या 3 के प्रकरण एफ.आई.आर. संख्या 262/08 में अपर एवं सेशन न्यायाधीश एवं विशिष्ट न्यायाधीश (एससी/एसटी प्रकरण) प्रतापगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 01/11 स्टेट बनाम इरफान में दिनांक 07.03.2011 द्वारा बरी किया जा चुका है और क्रम संख्या 4 के प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71/10 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2019 के द्वारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। क्रम संख्या 5 के प्रकरण 92/10 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को दिनांक 19.09.2017 के निर्णय के द्वारा दोषमुक्त करार दिया जा चुका है। क्रम संख्या 6 के प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 255/10 के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ निर्णय दिनांक 27.01.2015 के द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया जा चुका है। क्रम संख्या 7 के प्रकरण 242/10 के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को दिनांक 27.01.2015 के आदेश के द्वारा दोषमुक्त करार दिया जा चुका है।

06. इसी प्रकार क्रम संख्या 8 के प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 247/10 के मामले में निर्णय विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4, जिला कोटा के द्वारा दिनांक 16.04.2025 को किया जाकर प्रार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। क्रम संख्या 9 के प्रकरण संख्या 310/10 का निर्णय विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, जिला कोटा के द्वारा दिनांक 08.08.2022 को किया जाकर प्रार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। क्रम संख्या 10 के प्रकरण संख्या 368/12 का निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 22.11.2016 को किया जाकर प्रार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। क्रम संख्या 11 प्रकरण संख्या 544/12 का निर्णय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 19.02.2024 को किया जाकर प्रार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है।

07. इसी प्रकार क्रम संख्या 12 प्रकरण संख्या 42/13 का निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 20.05.2016 को किया जाकर प्रार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। इसी प्रकार क्रम संख्या 14 के प्रकरण संख्या 248/14 का निर्णय सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 21.09.2024 को किया जाकर प्रार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। क्रम संख्या 20 के प्रकरण संख्या 431/2024 का निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर हो चुका है जो धारा 4 परीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। क्रम संख्या 23 के प्रकरण संख्या 73/2026 है जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में टंकणीय त्रुटि से 73/25 अंकित कर दिया गया है, जो सहअभियुक्त मोहम्मद आसिफ उर्फ हैरी की मुकदमों की सूची से ही स्पष्ट है। इस



प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से S.B. Criminal Writ Petition No. 1036/26 प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिनांक 17.03.2026 को पारित किया जा चुका है।

08. इस प्रकार अधिकांश मामलों का निस्तारण हो जाना बताते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

09. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

10. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत निर्णयों की प्रतियों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त के बताए अनुसार अधिकांश प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। सहअभियुक्त की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2026 को ली जा चुकी है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

11. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

12. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **अयुब खान पठान पुत्र सलीम खान** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J